

न्यायालय : व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-एक, अंजड़ जिला बड़वानी

{समक्ष : श्रीमती वंदना राज पाण्डेय}

दीवानी प्रकरण क्रमांक 02-बी/2016

संस्थित दिनांक- 07.01.2016

किस्मत पिता रामलालजी सेन, आयु-42 वर्ष,
व्यवसाय-व्यापार, प्रोप्रायटर-शिवम ट्रेडिंग कम्पनी, अंजड़
निवासी अंजड़, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश

.....वादी

वि रु द्ध

बसंत खण्डेलवाल, प्रोप्रायटर-रौनक इंटरप्राजेस,
रामभवन, कुण्डलेश्वर मार्ग, खण्डवा, मध्यप्रदेश

.....प्रतिवादी

-: निर्णय :-

(आज दिनांक 26/07/2016 को पारित)

01- वादी ने यह वाद अपनी फर्म द्वारा प्रतिवादी फर्म को विक्रय किए गए रूई की गठानों के विक्रय की कीमत ब्याज सहित कुल रुपये 9,68,775/- (अक्षरी रुपये नौ लाख अड़सठ हजार सात सौ पचहत्तर मात्र) की प्राप्ति हेतु प्रस्तुत किया है।

02- वादी का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी फर्म अंजड़ में स्थित होकर थोक एवं खेरची में कपास क्रय कर उसकी रूई, कपास्या खली एवं अनाज विक्रय का कार्य करती है तथा वादी किस्मत पिता रामलाल सेन शिवम ट्रेडिंग कम्पनी, अंजड़ का प्रोप्रायटर होकर फर्म के लिए उत्तरदायी एवं जवाबदार व्यक्ति है तथा प्रतिवादी फर्म खण्डवा में स्थित होकर थोक में गठान क्रय कर उसके विक्रय का कार्य करती है तथा प्रतिवादी बसंत खण्डेलवाल उक्त फर्म का एकमात्र प्रोप्रायटर होकर फर्म के कार्य के लिए उत्तरदायी एवं जवाबदार व्यक्ति है।

03- प्रतिवादी फर्म ने वादी फर्म से दिनांक 05.11.2013 को 100 गांठे रुपये 19,90,905/- बिल नंबर 11 के माध्यम उधार क्रय की तथा उसकी कीमत स्वरूप दिनांक 20.11.2013 को रुपये 10 लाख, दिनांक 23.11.2013 को रुपये 5 लाख तथा दिनांक 28.11.2013 को रुपये 3 लाख एवं दिनांक 07.01.2014 को रुपये 96,100/- व दिनांक 21.02.2014 को रुपये 3 लाख जमा किए तथा पुनः दिनांक 06.03.2014 को 100 गांठे रुपये 17,55,044/- को बिल क्रमांक 26 के माध्यम से उधार क्रय की, जिसी कीमत अदायगी हेतु प्रतिवादी फर्म द्वारा वादी को दिनांक 10.03.2014 को रुपये 2 लाख 30 हजार जमा किए गए, इस प्रकार दिनांक 31.03.2014 तक वादी फर्म का प्रतिवादी फर्म पर रुपये 11,21,471/- लेना बकाया था, जिसकी अदायगी हेतु प्रतिवादी फर्म द्वारा वादी को दिनांक 22.04.2016 को रुपये 1 लाख 90 हजार, दिनांक 05.05.2014 को रुपये 1 लाख 75 हजार जमा किए थे और उसके पश्चात वादी फर्म का

प्रतिवादी फर्म पर रुपये 7,56,471/— (अक्षरी रुपये सात लाख छप्पन हजार चार सौ इकहत्तर मात्र) लेना बकाया हैं। वादी फर्म एवं प्रतिवादी फर्म के बीच यह भी करार हुआ था कि प्रतिवादी फर्म 30 दिवस में रुपये का भुगतान नहीं करेगी तो वह वादी फर्म को 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज अदा करेगी। वादी फर्म द्वारा प्रतिवादी फर्म से कई बार सम्पर्क कर उक्त बकाया रूपयों की मांग की गई, किन्तु प्रतिवादी हमेशा रुपये देने का आश्वासन देता रहा, किन्तु रुपये नहीं दिए। वादी फर्म को प्रतिवादी फर्म से दिनांक 31.03.2014 तक रुपये 2,10,304/— (अक्षरी रुपये दो लाख दस हजार तीन सौ चार मात्र) ब्याज स्वरूप लेना है। इस प्रकार वादी फर्म का प्रतिवादी फर्म पर कुल रुपये 9,68,775/— (अक्षरी रुपये नौ लाख अठसठ हजार सात सौ पचहत्तर मात्र) लेना बकाया है, जिसकी मांग हेतु वादी फर्म द्वारा प्रतिवादी फर्म को अपने अधिवक्ता के माध्यम से पंजीकृत डाक द्वारा दिनांक 06.12.2014 को सूचना पत्र भेजा गया था, जो प्रतिवादी को दिनांक 16.12.2014 को प्राप्त होने के बाद भी वादी फर्म को बकाया धनराशि का कोई भुगतान नहीं किया गया। इसलिए वादी ने यह वाद उक्त मूलधन एवं ब्याज प्राप्ति हेतु प्रतिवादी के विरुद्ध प्रस्तुत किया है।

04— प्रतिवादी को सूचना पत्र तामील होने के बाद भी प्रतिवादी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है, इसलिए उसके विरुद्ध दिनांक 04.05.2016 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई है।

05— प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न निम्न उत्पन्न होते हैं :—

| क. | विचारणीय प्रश्न |
|----|---|
| 1. | क्या वादी फर्म को प्रतिवादी फर्म से उसे उधार में विक्रय की गई 100 गांठों की आंशिक कीमत के रूप में रुपये 7,56,471/— (अक्षरी रुपये सात लाख छप्पन हजार सात सौ पचहत्तर मात्र) लेना शेष है ? |
| 2. | क्या वादी फर्म प्रतिवादी फर्म से उक्त धनराशि पर संव्यवहार दिनांक से 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज पाने की अधिकारी है ? |
| 3. | सहायता एवं वाद व्यय ? |

विचारणीय प्रश्न क्रमांक-1 लगायत 3 पर सकारण निष्कर्ष :-

06— प्रकरण में साक्ष्य के दोहराव को रोकने तथा सभी विचारणीय प्रश्न एक-दूसरे से संबंधित होने से सुविधा की दृष्टि से इनका एकसाथ निराकरण किया जा रहा है।

07— उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में वादी किस्मत सेन (वा.सा.-1) ने वाद पत्र के तथ्यों का समर्थन करते हुए कथन किया है कि वादी फर्म अंजड़ में स्थित होकर थोक एवं खेरची में कपास क्रय कर उसकी रूई, कपास्या खली एवं अनाज विक्रय का कार्य करती है तथा वादी किस्मत पिता रामलाल सेन शिवम ट्रेडिंग कम्पनी, अंजड़ का प्रोप्रायटर होकर फर्म के लिए उत्तरदायी एवं जवाबदार

व्यक्ति है तथा प्रतिवादी फर्म खण्डवा में स्थित होकर थोक में गठान क्रय कर उसके विक्रय का कार्य करती है तथा प्रतिवादी बसंत खण्डेलवाल उक्त फर्म का एकमात्र प्रोप्रायटर होकर फर्म के कार्य के लिए उत्तरदायी एवं जवाबदार व्यक्ति है। वादी ने आगे अपने मुख्य परीक्षण में यह भी प्रकट किया है कि प्रतिवादी फर्म ने वादी फर्म से दिनांक 05.11.2013 को 100 गांठे रुपये 19,90,905/- बिल नंबर 11 के माध्यम उधार क्रय की तथा उसकी कीमत स्वरूप दिनांक 20.11.2013 को रुपये 10 लाख, दिनांक 23.11.2013 को रुपये 5 लाख, दिनांक 28.11.2013 को रुपये 3 लाख, दिनांक 07.01.2014 को रुपये 96,100/- व दिनांक 21.02.2014 को रुपये 3 लाख जमा किए तथा पुनः दिनांक 06.03.2014 को 100 गांठे रुपये 17,55,044/- को बिल क्रमांक 26 के माध्यम से उधार क्रय की, जिसी कीमत अदायगी हेतु प्रतिवादी फर्म द्वारा वादी को दिनांक 10.03.2014 को रुपये 2 लाख 30 हजार जमा किए गए, इस प्रकार दिनांक 31.03.2014 तक वादी फर्म का प्रतिवादी फर्म पर रुपये 11,21,471/- लेना बकाया था, जिसकी अदायगी हेतु प्रतिवादी फर्म द्वारा वादी को दिनांक 22.04.2016 को रुपये 1 लाख 90 हजार, दिनांक 05.05.2014 को रुपये 1 लाख 75 हजार जमा किए थे और उसके पश्चात वादी फर्म का प्रतिवादी फर्म पर रुपये 7,56,471/- (अक्षरी रुपये सात लाख छप्पन हजार चार सौ इकहत्तर मात्र) लेना बकाया हैं।

08— न्यायालय में प्रस्तुत मुख्य परीक्षण में वादी ने आगे यह भी व्यक्त किया है कि वादी फर्म एवं प्रतिवादी फर्म के बीच यह भी करार हुआ था कि प्रतिवादी फर्म 30 दिवस में रुपये का भुगतान नहीं करेगी तो वह वादी फर्म को 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज अदा करेगी। वादी फर्म द्वारा प्रतिवादी फर्म से कई बार सम्पर्क कर उक्त बकाया रूपयों की मांग की गई, किन्तु प्रतिवादी हमेशा रुपये देने का आश्वासन देता रहा, किन्तु रुपये नहीं दिए। वादी फर्म को प्रतिवादी फर्म से दिनांक 31.03.2014 तक रुपये 2,10,304/- (अक्षरी रुपये दो लाख दस हजार तीन सौ चार मात्र) ब्याज स्वरूप लेना है। वादी ने अपने मुख्य परीक्षण में प्रतिवादी से उक्त मूलधन व ब्याज की राशि के अतिरिक्त प्रतिवादी फर्म को प्रेषित सूचना पत्र के व्यय स्वरूप रुपये 2,000/- भी प्रतिवादी फर्म से दिलवाए जाने का निवेदन किया है। इस प्रकार वादी फर्म का प्रतिवादी फर्म पर कुल रुपये 9,68,775/- (अक्षरी रुपये नौ लाख अठसठ हजार सात सौ पचहत्तर मात्र) लेना बकाया है, जिसकी मांग हेतु वादी फर्म द्वारा प्रतिवादी फर्म को अपने अधिवक्ता के माध्यम से पंजीकृत डाक द्वारा दिनांक 06.12.2014 को सूचना पत्र भेजा गया था, जो प्रतिवादी को दिनांक 16.12.2014 को प्राप्त होने के बाद भी वादी फर्म को बकाया धनराशि का कोई भुगतान नहीं किया गया। इसलिए वादी ने यह वाद उक्त मूलधन एवं ब्याज प्राप्ति हेतु प्रतिवादी के विरुद्ध प्रस्तुत किया है।

09— वादी ने अपने समर्थन में फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र प्रपी-1, बिलबुक प्रपी-2 व 3, रोकड़ बही प्रपी-4, खाता बही प्रपी-5, बैंक विवरण प्रपी-6 व 7, ऑडिट रिपोर्ट प्रपी-8 व 9, प्रतिवादी को भेजा गया सूचना पत्र प्रपी-10, सूचना पत्र की पोस्टल रसीद प्रपी-11 तथा अभिस्वीकृति पत्र प्रपी-12 एवं रोनाक इंटरप्राजेस का लिफाफा प्रपी-13 के रूप में प्रदर्शित कराए हैं।

10— वादी के कथनों का समर्थन वादी साक्षी मयूर सेन (वा.सा.-2) के कथनों से भी होता है। उक्त साक्षी का कथन है कि वह वादी को पहचानता है, जो रिश्ते में उसका भाई लगता है। वादी की शिवम ट्रेडिंग कम्पनी के नाम से कौटन गठान, खली व अनाज विक्रय का कारोबार है तथा वह उसके भाई अर्थात् वादी के साथ ही कारोबार करता है। इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में यह भी व्यक्त किया है कि वादी से रोनक इंटरप्राजेस खण्डवा अर्थात् प्रतिवादी फर्म के द्वारा दिनांक 05.11.2013 को 100 कपास गठान एवं दिनांक 06.03.2014 को कपास की 100 गठानें उधार क्य की थीं। रोनक इंटरप्राजेस के द्वारा समय-समय पर राशि जमा की थी, बकाया राशि रुपये 7,56,471/- लेना शेष थी, जिसके लिए कई बार वादी तथा इस साक्षी द्वारा मांग किए जाने पर भी प्रतिवादी फर्म के प्रोप्रायटर बसंत खण्डेलवाल के द्वारा कोई राशि जमा नहीं की गई।

11— वादी की ओर से अपने समर्थन में जो दस्तावेज प्रदर्शित कराए गए हैं, वह वादी फर्म का प्रोप्रायटर वादी किस्मत सेन को होने के संबंध में मध्यप्रदेश शासन का वाणिज्य कर विभाग का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रपी-1, वादी फर्म द्वारा प्रतिवादी फर्म को विक्रय किए गए सामान की इन्वॉईस प्रपी-2 और 3 तथा वादी व प्रतिवादी के मध्य हुए संव्यवहार का हिसाब प्रपी-4 व 5 तथा वादी के फर्म से संबंधित बैंक विवरण के दस्तावेज प्रपी-6 व 7, ऑडिट रिपोर्ट प्रपी-8 व 9, वादी द्वारा प्रतिवादी को दिया गया सूचना पत्र प्रपी-10, उसकी पोस्टल रसीद प्रपी-11 एवं प्राप्ति अभिस्वीकृति प्रपी-12 तथा प्रतिवादी फर्म द्वारा वादी फर्म को भेजा गया लिफाफा प्रपी-13 है। वादी की उक्त साक्ष्य एवं दस्तावेजों का प्रतिवादी के एकपक्षीय रहने के कारण कोई खण्डन नहीं हुआ है। यहां तक कि न्यायालय द्वारा भेजा गया डाक का समंस भी प्रतिवादी को चस्पा द्वारा तामील कराये जाने के बाद भी प्रतिवादी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है।

12— इस प्रकार वादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेजों से यह प्रमाणित होता है कि प्रतिवादी फर्म ने वादी फर्म से दिनांक 06.03.2014 को रूई की 100 गठानें रुपये 17,55,044/- में बिल क्रमांक 26 के माध्यम से उधार क्य की थीं और उसकी कीमत का आंशिक रूप से भुगतान किया गया और प्रतिवादी फर्म द्वारा वादी फर्म को रुपये 7,56,471/- (अक्षरी रुपये सात लाख छप्पन हजार चार सौ इकहत्तर मात्र) संव्यवहार दिनांक से अदा करना शेष था, जो वादी द्वारा सूचना पत्र प्रेषित किये जाने के बाद भी प्रतिवादी ने उक्त धनराशि या उसका कोई भी भाग वादी को अदा नहीं किया है। ऐसी स्थिति में वादी उक्त धनराशि प्रतिवादी से पाने का अधिकारी होना प्रमाणित होता है।

13— यद्यपि, वादी ने उक्त बकाया धनराशि पर 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज की भी मांग की है, लेकिन उक्त ब्याज की राशि के संबंध में उभयपक्ष के मध्य कोई स्पष्ट करार नहीं हुआ है और उक्त ब्याज दर बाजार में सामान्यतः बैंक द्वारा प्रचलित ब्याज दर से कहीं अधिक व असाधारण भी प्रतीत होती है। ऐसी स्थिति में वादी प्रतिवादी से उक्त बकाया मूलधन राशि पर संव्यवहार दिनांक से अदायगी दिनांक तक बैंक द्वारा बाजार में प्रचलित ब्याज दर अर्थात् 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज भी पाने का अधिकारी है।

14— अतः उपरोक्तानुसार वादी का वाद, ब्याज राशि के संबंध में अंशतः तथा शेष सम्पूर्ण वाद स्वीकार करते हुए निम्नानुसार डिक्री पारित की जाती है :—

(अ) प्रतिवादी फर्म को आदेशित किया जाता है कि वह वादी फर्म को एकमुश्त बकाया राशि रुपये 7,56,471/— (अक्षरी रुपये सात लाख छप्पन हजार चार सौ इकहत्तर मात्र) तत्काल अदा करे।

(ब) प्रतिवादी फर्म को यह भी आदेशित किया जाता है कि वह वादी फर्म को उक्त बकाया राशि रुपये 7,56,471/— (अक्षरी रुपये सात लाख छप्पन हजार चार सौ इकहत्तर मात्र) पर संव्यवहार दिनांक से अदायगी दिनांक तक 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज भी अदा करे।

प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए वादी का वाद व्यय प्रतिवादी अदा करे।

अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने पर नियम 523 म.प्र. व्यवहार न्यायालय नियम 1961 के अनुसार अथवा जो भी रकम प्रमाणित हुई हो अथवा दोनों में से जो कम हो, व्यय में जोड़ी जाए।

उपरोक्तानुसार आज्ञाप्ति की रचना की जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित।

सही /—
(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग—एक,
अंजड़, जिला बड़वानी

सही /—
(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग—एक,
अंजड़, जिला बड़वानी